

धारा-89. परिभाषायें.- पूर्वगामी धाराओं में प्रयुक्त ऐसे शब्दों तथा पदों के, जिनकी परिभाषा इस अधिनियम में नहीं दी गई है, किन्तु 1950 के उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम (1951 ई० का उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1), में दी गई है, वही अर्थ होंगे जो उस अधिनियम में दिये गये हों।